राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांक : प. 2(157)का/क–3/शिका/97पार्ट जयपुर, दिनांक: 28/5/2020

सामस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त संभागीय आयुक्त/
रामस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
सामस्त विशिष्ठ शासन सचिव/
संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिवगण।

परिपत्र

विषयः–आपराधिक प्रकरण में लोक सेवक के 48 घण्टे से अधिक हिरासत में रहने की सूचना दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने पर सम्बन्धित लोक सेवक को न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है। अभिरक्षा की सूचना संबंधित सक्षम प्राधिकारी को नहीं दी जाती जिससे ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध नियमानुसार निलम्बन की कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती है।

उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा राज्य लोक सेवकों के विरूद्व दर्ज आपराधिक प्रकरणों में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक रहने पर ऐसे लोक सेवकों की तत्सबंधी सूचना तत्काल सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के संज्ञान में लायी जावें ताकि आरोपित लोक सेवक के विरूद्ध निलम्बन संबंधी कार्यवाही समय पर सम्पादित की जा सके।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि लोकसेवक की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त होते ही उस लोकसेवक को उसके वर्तमान पद से तत्काल कार्यमुक्त करते हुए आगामी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जावे जिससे नियमों की पालना में किसी भी प्रकार की विधिक/तकनीकी बाधा उत्पन्न ना हो सके। अतः उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला पुलिस/कारागार अधीक्षक, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि इस विषय में लोक सेवक के 48 घण्टे से अधिक हिरासत में रहने की सूचना से तत्काल उसके पदस्थापन कार्यालय को सूचित किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।